



2026:AHC:21948

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 1339 वर्ष 2026

डॉ. आस्था चौधरी
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दीपक कुमार त्रिपाठी, निखिलेश कुमार चौधरी
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार त्रिपाठी और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 27.08.2024 को चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वे वर्तमान में सहारनपुर में तैनात हैं। वे बस्ती या आसपास के जिलों में स्थानांतरण चाहते हैं।
- विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रत्यर्थी, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाएगा।
- पीठ पर प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ द्वितीय प्रत्यर्थी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष 12.01.2026 तक एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।
- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026
राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"